राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 172/2011/कोटा

अपील संख्या – 173/2011/कोटा

सहायक आयुक्त, वृत—अ, वा.क.वि., कोटा। बनाम

....अपीलार्थी.

मैसर्स नोबल ग्रेन इण्डिया प्रा०लि०, ताथेड कोटा।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा, उप—राजकीय अभिभाषक। श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.05.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18, 23, 24, 61(1), 61(2), 55 सपिठत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत पृथक—पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 26.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों अपील निर्णयों में रिवर्स आईटीसी व धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया एंव सहायक आयुक्त, वृत्त अ, कोटा (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्तियों को यथावत रखा, जिसके विरुद्ध यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :—

अ. स.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दि.	वर्ष	आईटीसी	शास्ति धारा (61)
172/11	16/वेट/10-11	26.03.10	07-08	4,06,009	8,12,018
173/11	05 / सीएसटी / 10-11	26.03.10	07-08	19,81,682	39,63,364

- 2. इन दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।
- 3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी एक तेल निर्माण ईकाई है। उसके द्वारा आलौच्य अवधि में तिलहन क्रय की और उससे तेल निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में डी ओ सी का निर्माण भी हुआ जो कि कर मुक्त है। व्यवहारी ने डी ओ सी निर्माण में काम ली गई तिलहन का भी आईटीसी क्लेम लिया। सशक्त अधिकारी ने यह माना कि आईटीसी कर योग्य माल के निर्माण व विक्रय पर ही ले सकता, कर मुक्त पर नहीं। इसलिये सूचना पत्र जारी किया तथा तिलहन से उत्पादित तेल व डी ओ सी के प्रतिशत के आधार पर वेट के तहत पारित किये गये आदेश में यह माना कि उसके द्वारा काम ली गई तिलहन में से 2,03,00,455/— की तिलहन डी ओ सी निर्माण के काम आई, इसलिये इस पर चाहा गया आईटीसी क्लेम 4,06,009/— को रिवर्स किया गया तथा जानबूझ कर गलत आईटीसी क्लेम करने के कारण धारा 61(2)(बी) के तहत 8,12,018/— की शास्ति आरोपित की गई। वेट रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत 120/— की शास्ति आरोपित की गई। 1,34,359/— का जो अधिक संग्रहित कर मानकर जब्त किया गया है, उसे स्वयं के द्वारा जमा करवाना बताते हुए विवादित किया गया है। इस प्रकार कुल 13,52,506/— को विवादित किया है। व्यापारी

aminim 12

My

लगातार.....2

द्वारा क्लेम किये गये इन्ट्रेस्ट एण्ड वेज सब्सीडी 23,95,874 / – को बिना किसी आधार व कारण के अस्वीकार करने को विवादित किया गया तथा 8,00,34,276 / – के आईटीसी क्लेम को स्वीकार नहीं करने को विवादित किया गया। जिसे अपील संख्या 172 द्वारा चुनौती दी गई है।

इसी प्रकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत यह माना कि उसके द्वारा काम ली गई तिलहन में से 9,90,84,139/— की तिलहन डी ओ सी निर्माण के काम आई इसिलये इस पर चाहा गया आईटीसी क्लेम रू० 19,81,682/— को रिवर्स किया गया तथा जानबूझकर गलत आईटीसी क्लेम करेन के कारण धारा 61(2)(बी) के तहत 39,63,364/— की शास्ति आरोपित की गई। वेट रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत 120/— की शास्ति आरोपित की गई। इस प्रकार कुल 59,45,166/— को विवादित किया तथा 8,00,34,276/— के आईटीसी क्लेम को स्वीकार नहीं करने को विवादित किया गया। जिसे अपील संख्या 173 द्वारा चुनौती दी गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा आईटीसी क्लेम एवं अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत जो शास्तियां आरोपित की गई है, वह उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी एक तेल निर्माण ईकाई है न कि डीओसी निर्माण ईकाई। उसने जो विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह भी तेल निर्माण के लिये ही है। उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में तिलहन राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की जाती है और उसकी पिलाई तेल निर्माण के लिये की जाती है। तेल निर्माण की मुख्य प्रक्रिया के तहत डीओसी का निर्माण भी होता है, जो एक प्रकार का सह उत्पाद है। अपीलान्ट ने डीओसी निर्माण के लिये तिलहन की मीलिंग नहीं की है। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीओसी निर्माण में काम ली गई तिलहन पर चाहा गया आईटीसी क्लेम अस्वीकार कर उसे रिवर्स करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं हैं।

उनका यह भी तर्क है कि वेट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टेक्स उस परिस्थित में ही हो सकता है जब बिक्री अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) में वर्णित उद्देश्यों के अलावा हो। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 18(1)(a) to (g) का उल्लंघन नहीं किया है। कच्चे माल से विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खल भी बनेगी। धारा 18(1) के अन्त के शब्द उन परिस्थियों में लागू होंगे जहां अलग कच्चे माल से कर मुक्त तथा कर योग्य माल का विनिमाण होता है। अतः प्रत्यर्थी को वेट एक्ट की धारा 18 के तहत सम्पूर्ण तिलहन पर आईटीसी क्लेम स्वीकार किया जावे। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में 127 एसटीसी पेज 313 (पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय), माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा वा0क0अ0 प्रतिकरापवंचन श्री गंगानगर बनाम मेसर्स दुर्गश्वरी फूड लि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण में पारित निर्णय 23 टेक्स अपडेट पेज 360, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 85 एस टी सी पेज 220, पंजाब एण्ड 197, 74 एसटीसी पेज 288, 93 एसटीसी पेज 299, 104 एसटीसी पेज 341 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता कथन किया कि प्रत्यर्थी समस्त माल की खरीद एवं विक्रय का जमा खर्च अपनी लेखापुस्तकों में किया है और उसी के अनुरूप विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं, लेकिन सशक्त अधिकारी ने मत भिन्नता के आधार पर गलत आईटीसी क्लेम करना मानते हुए धारा 61(2)(बी) के तहत जो शास्तियां आरोपित की है, जो कि न्यायोचित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हें अपास्त किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

नगातार......3

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी एक तेल निर्माण ईकाई है और उसके द्वारा राज्य के विभिन्न पंजीकृत व्यापारियों से तिलहन क्रय की गई है जिसे कच्चे माल के रूप में तेल निर्माण हेतु काम लिया गया है। इस तेल निर्माण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में डीओसी का निर्माण भी हुआ है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 18(1) निम्न प्रकार है

"18. Input Tax Credit.- (1) Input tax credit shall be allowed, to reistered dealers other than the dealers covered by sub-section(2) of section 3 section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

(a) Sale within the State of Rajasthan, or

(b) sale in the course of inter-state trade and commerce; or

(c) sale in the course of export ouside the territory of India; or

(d) being used as packing material of goods, other than exempted goods, for sale or

(e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-state trade or commerce; or

(f) [being used as packing material of goods or as raw material in the manufacture of goods for sale] in the course of export outside the territory or India; or

(g) being used in the State as capital goods;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this subsection,"

सशक्त अधिकारी द्वारा इस धारा के अन्त में प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर तिलहन का आंशिक रूप से कर योग्य तेल निर्माण में काम आना माना गया है और अनुपातिक आधार पर कर मुक्त डीओसी में तिलहन का उपयोग करना मानते हुऐ इनपुट टेक्स क्लेम रिवर्स किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरूद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193—194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20, 21 व 22 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है:—

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

aminima 12

लगातार.....4

उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के अंनुसार कर मुक्त डीओसी निर्माण में आनुपातिक तिलहन का उपयोग मानकर कर रिवर्स किया गया है उसकी पृष्टि की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का इस बिन्दू पर निर्णय इस हद तक अस्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य व सम्बन्धित प्रावधान इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण यहां पर लागू नहीं होते है।

व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार अपने लेखा पुस्तकों में दर्ज किये गये है, जिससे उसकी करापवंचना की नियत सिद्ध नहीं होती है एवं ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आकर्षित नहीं होती है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख दृष्टव्य है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

प्रत्यर्थी द्वारा तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the rspondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

अतएवः उपरोक्त न्यायिक व्यवस्थाओं को मध्यनजर रखते हुए व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियां अपास्त की जाती है एवं मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि., श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा आईटीसी क्लेम की पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से इस हद तक अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाते हैं एवं आईटीसी के बिन्दु पर विभागीय अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

(मदन लाल)